राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2020/613 दिनांकः- 30-6-2022

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
एवं उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त।

विषयः– जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन मे जनाधार की अनिवार्यता से उत्पन समस्याओं के समाधान के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की पहचान पोर्टल पर ऑनलाईन जारी किये जा रहे जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में परिपत्र क्रमांक 462 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा जनाधार को अनिवार्य किये जाने के पश्चात जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के समक्ष जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन मे आ रही समस्याओं के समाधान हेतु आमजन की सुविधा हेतु पहचान पोर्टल मे विकल्प का प्रावधान निम्नानुसार किया गया हैः–

1	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर परिवार का जन–आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	आवेदक से जनाधार हेतु नामांकन करवाया जावें।
2	मृत्यु की घटना का आवेदन करने पर मृतक (पति/पत्नि) का एवं मृतक के माता/पिता का जन–आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
3	राजस्थान के बाहर के निवासियों का जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण के आवेदन के लिए जनाधार की अनिवार्यता।	राजस्थान के बाहर के निवासियों के लिए जनाधार की अनिवार्यता नहीं होने के कारण उन्हें छूट प्रदान करना।
4	विवाह प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर वर–वधु दोनों के परिवार का जन आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	जनाधार का नामांकन करवाया जावें।
5	वर या वधु दोनों मे से एक पक्ष का राजस्थान के बाहर का निवासी होने की स्थिति में।	वर अथवा वधु दोनों पक्ष मे से जो राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी है, उन्हें जनाधार से छूट प्रदान करना।
6	दत्तक ग्रहण किये गये बच्चों का रजिस्ट्रेशन।	यदि दत्तक ग्रहण राज्य में किया गया है और दत्तकग्रहीता राजस्थान राज्य का निवासी है तो उन्हें जनाधार प्रस्तुत करना होगा। परन्तु दत्तकग्रहीता राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी है तो उन्हें जनाधार से छूट प्रदान करना।
7	अनाथालय में निवास कर रहें व्यक्तियों के जन्म/मृत्यु का रजिस्ट्रेशन में जनाधार की अनिवार्यता।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
8	चिकित्सालय में उपचार हेतु लाये गये मरीज की Brought Dead की स्थिति में।	मृतक के परिजन का जनाधार प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन करना।

9	लावारिस/अज्ञात मृतक की स्थिति में।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
10	पूर्व मे जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र मे संशोधन के लिए आवेदक से जनाधार लिया जाना जबकि उनके परिवारजन का जनाधार उपलब्ध नहीं होना।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
11	विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन करने पर वर व वधु एवं दोनो पक्ष के परिवारजन (माता/पिता) के अलग–अलग जनाधार प्रस्तुत करना पड़ता है जबकि वर एवं वधु दोनों का नाम एक ही जनाधार मे नाम होने की स्थिति मे।	वर व वधु का नाम एक ही जनाधार से लिया जावें।
12	आवेदक द्वारा जन्म/मृत्यु अथवा विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन के समय जनाधार प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट मना करना और न ही वह जनाधार बनाना चाहते है।	आवेदक से एक अण्डरटैकिंग लेना की उनके द्वारा जनाधार का नामांकन नहीं करवाया गया है और न ही वह जनाधार बनाना चाहतें है तथा राज्य में सम्पादित की जा रहीं लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक हैं।

जनाधार की अनिवार्यता लागू करने के पश्चात राजकीय चिकित्सालयों/सीएचसी/ पीएचसी में जन्म/मृत्यु के पंजीयन मे उत्पन कठिनाई के संबंध मे उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को जन्म/मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन के लिये दिनांक 20.07.2022 तक जनाधार की अनिवार्यता से छूट (Exempt) प्रदान की जाती है। अतः उक्त विकल्प अनुसार जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(डॉ.सुदेश कुमार)
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)
एवं सयुंक्त निदेशक (जीवनांक)

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2020/613 दिनांकः- 30-6-2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्तानुसार पहचान पोर्टल पर विकल्प का प्रावधान कराने का श्रम करावें।
4. अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज समस्त।
5. चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी समस्त।
6. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)